स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) सुगंध
भवन, एन.एच. बाई पास, पी.बी. नंबर 2277,
पलारीवट्टम पी.ओ., कोच्ची - 682025
दूरभाष 0484-2333610 से 616 तक, 2347965
फैक्स : 0484 - 2341935

<u>अधिसूचना सं.- 43/2023</u>

<u>स्पाइसेस बोर्ड में कानूनी परामर्शदाता की नियुक्ति</u>

स्पाइसेस बोर्ड अपने मुख्यालय, कोच्ची में कानूनी परामर्शदाता के एक पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक II) में आवेदन आमंत्रित करता है। पद के लिए विचार्थ विषय का एक विवरण संलग्नक I के रूप में संलग्न है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन प्रस्तुत करने से पहले पात्रता मानदंड, अपेक्षित अनुभव और नियुक्ति के लिए आवश्यक अन्य निबंधन और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में विधिवत् भरा हुआ आवेदन सऊी सुसंगत दस्तावेज़ों के साथ **निदेशक (प्रशासन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ. कोच्ची -682 025 को <u>12 अप्रैल 2023</u>** <u>को</u> **<u>शाम 5 बजे</u>** तक अग्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"कानूनी परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन"** का लेबल होना चाहिए।

आवेदन ई-मेल द्वारा निम्नलिखित ईमेल पते पर भी भेजा जा सकता है:

<u>spicesboardlegal@gmail.com</u>

(कृपया विषय पंक्ति में "कानूनी परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन" इंगित करें)

अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल उनके आवेदन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को ही सूचित किया जाएगा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

निदेशक (प्रशासन)

दिनांक: 20.3.2023

<u>संलग्नक -I</u>

कानूनी परामर्श�ाता को नियुक्त करने के लिए
विचारार्थ विषय

1	पद का नाम	कानूनी परामर्शदाता (01 पद)
2	नियुक्ति का कार्यकाल	प्रारंभ में 01 (एक) वर्ष के लिए संविदा प्रदर्शन का निर्धारण, आपसी सम्मति एवं अपेक्षा के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
3	नियुक्ति की प्रकृति	नियुक्त पूरी तरह से संविदा आधार पर होगी और स्पाइसेस बोर्ड किसी भी समय कोई पूर्व सूचना दिए बिना और कोई कारण बताए बिना पारिश्रमिक या सूचन अविधि के बिना तत्काल प्रभाव के साथ साबित कदाचार के आधार पर इसको समाप्त करने का अधिकार रखता है। हालाँकि, सामान्य क्रम में संविदा कर्मचारी को संविदा की समाप्ति के पहले एक महीने की सूचना दी जाएगी या सूचना अवधि के बदले में एक महीने का वेतन का भुगतान करना पडेगा।
4	कर्तव्यों का कार्य-क्षेत्र	1. स्पाइसेस बोर्ड से संबधित निरंतर पुनरीक्षा, अनुवीक्षण, अनुप्रयोज्यता कार्यान्वित करना, स्पाइसेस बोर्ड से संबंधित सभी सुसंगत नियमों/विधानों का व्याख्या। 2. निविदा दस्तावेज़, सहमति ज्ञापन, कोटेशन आमंत्रित करने, रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने, संविदा, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों सहित संदर्भित मामलों पर तकनीकी इनपुट प्रदान करना। 3. अदालती मामलों से संबंधित मामलों के साथ-साथ कानूनी दृष्टिकोण से जांच की आवश्यकता वाले मामलों में सहायता करना। 4. चल रहे और वर्तमान अदालती मामलों के बारे में जानकारी रखने के लिए सभी सूचीबद्ध कानूनी सलाहकारों के साथ संसर्ग और संपर्क बनाए रखना। 5. कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कार्य करना जो समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं।
5	नौकरी करने का स्थान	मुख्यालय, कोच्ची
6	पात्रता, शैक्षिक योग्यताएँ	क) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता

	एवं आयु सीमा	प्राप्त भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून में स्नातकोत्तर उपाधि / स्नातक की उपाधि ऑफ लॉ। ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार विधिज्ञ परिषद में एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ग) उत्कृष्ट लिखित और मौखिक संचार और पारस्परिक कौशल होना चाहिए। **<u> यु सीमा</u>**: 60 साल से अधक न हो।
7	अनुभव	उच्च न्यायालयों/जिला न्यायालयों/अधिकरणों में किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकायों के अदालती मामलों को संभालने में योग्यता के बाद न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव
8	पारिश्रमिक एवं हकदारी	योग्यता और अनुभव के आधार पर 50,000/- रु. से 60,000/- रु. तक समेकित वेतन
9	भत्ता	संविदा कर्मचारी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेंशन, उरदान आदि सहित किसी भी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं होगा। हालांकि, अगर उन्हें बोर्ड के आधिकारिक काम के सिलसिले में देश के अंदर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो वेतन स्तर 10 के एक नियमित कर्मचारी के लिए स्वीकार्य यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता का भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद उसे किया जाएगा।
10	अवकाश	संविदा कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में यथानुपात आधार पर 12 दिन की छुट्टी पाने के हकदार होंगे। एक कलैण्डर वर्ष में अनुपयुक्त छुट्टी को न तो अगले कलैण्डर वर्ष में आगे बढ़ाया जा सकता है और न ही नकदीकरण किया जा सकता है।
11	संविदा की समाप्ति	स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी समय संविदा को समाप्त करने का अधिकार रखता है: क) संविदा कर्मचारी सौंपे गए कार्यों को संतोषजनक

		ढंग से पूरा करने में असमर्थ है; ख) संविदा कर्मचारी में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी पाई जाती है या वह गोपनीयता खंड का उल्लंघन करता है; ग) संविदा कर्मचारी बिना प्राधिकरण के कर्तव्य से अनुपस्थित है; घ) स्पाइसेस बोर्ड नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि के अंत में अनुबंध को नवीकृत नहीं करने का निर्णय लेता है; ङ) कोई अन्य कारण।
12	पूर्व सूचना की आवश्यकता	यदि संविदा कर्मचारी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से पहले संविदा को समाप्त करना चाहता है, तो वह स्पाइसेस बोर्ड को 30 दिनों की सूचना देकर या सूचना अवधि के बदले में एक महीने का वेतन देकर ऐसा कर सकता/सकती है।
13	गोपनीयता खंड	क) स्पाइसेस बोर्ड के साथ नियुक्ति की अवधि के दौरान, संविदा कर्मचारी शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अधीन होगा और वह किसी को भी जो इसे रखने के लिए अधिकृत नहीं है किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करेगा/करेगी, जो उसे स्पाइसेस बोर्ड में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान मिली हो। ख) संविदा कर्मचारी पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण, और उसके द्वारा संभाली गई जानकारी की गुप्तता और गोपनीयता बनाए रखेगा। संविदा की समाप्ति के बाद भी गुप्तता और गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। ग) संविदा कर्मचारी, किसी भी मामले में, अदालत में या किसी अन्य कानूनी प्राधिकरण, अधिकरण इत्यादि के लिए काम नहीं करेगा या प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, या स्पाइसेस बोर्ड के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को स्पाइस बोर्ड के साथ अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी मामले पर राय/सलाह नहीं देगा।

14	हितों का संघर्ष	संविदा कर्मचारी से स्पाइसेस बोर्ड के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सामान्य आचरण नियमों और विनियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि संविदा कर्मचारी की सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं या सरकार/स्पाइसेस बोर्ड के कामकाज के हितों के विपरीत पाई जाती हैं, तो उसके कर्तव्यों को बिना कोई कारण बताए समाप्त/बंद किया जा सकता है।
15	कार्य समय	संविदा कर्मचारी सामान्य कार्यालय समय का पालन करने का प्रयास करेगा और आवश्यकता/तात्कालिक आवश्यकता के मामले में उसे शनिवार, रविवार या किसी अन्य अवकाश के दिन कार्यालय में उपस्थित होने के लिए भी बुलाया जा सकता है।छुट्टी या किसी तात्कालिक आवश्यकता के मामले में, संविदा कर्मचारी बोर्ड को तुरंत सूचित करेगा।

संलग्नक-II

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय) में कानूनी परामर्श□ाता के प□ के लिए □ वे□न प्रपत्र

हाल का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएँ

1. नाम एवं पता :

2. जन्म तिथि :

3. लिंग :

4. शैक्षिक योग्यताओं का विवरण
(कृपया शैक्षिक योग्यताओं की स्व अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)

उत्तीर्ण हुए परीक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय /संस्था	विषय/ Discipline	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अंकों का प्रतिशत

5. मोबाइल नं. :

6. ई-मेल आईडी :

7. अनुभव का विवरण

8. ज्ञात भाषाएँ :

9. पूर्व परामर्श का विवरण, यदि कोई हो :

10. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे। यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।

(हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :